



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 494/फा०सं०-240(तृतीय)/स्थापना/2020-21

दिनांक: 17 जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-23/2020/279/18-2-2020-97(ल०उ०)/2016, दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा समस्त विभागों में शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

उक्त शासनादेश में उल्लिखित शासनादेश सं०-11/2017/5231/18-2-2017-97(ल०उ०)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में यदि कोई वस्तु सामग्री, सेवा जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं तो पत्रावली पर विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष स्वयं प्रमाणित करेंगे कि वह वस्तु जेम पर उपलब्ध नहीं है। वर्णित प्रक्रिया के इतर यदि कोई भी अन्य क्रय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जाएगी तथा तदनुसार संज्ञान में आने पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/अनुभाग से अपेक्षित है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मा० कुलपति के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
5. प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय।
6. पटल सहायक को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव